

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 280/2017

अनवान : -

1. गुडीदेवी पत्नी बुधराम जाति मेघवाल साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. कलावती पत्नी खेताराम जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

-वादीयागण

बनाम

1. गोपीराम पुत्र चानणराम जाति मेघवंशी साकिन भूकरका तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
3. स्टैट बैंक पटीयाला शाखा नोहर तहसील नोहर।
4. एसबीबीजे शाखा भूकरका तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री हवासिंह पुनिया वादीगण
श्री मांगेराम गोदारा प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 27/3/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीयागण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 4 बीबीके तहसील नोहर के प0न0 297/428 के मु0न0 21 के किला न0 6/0.2280, 7/1 की 0.1260, 14/1 की 0.1270, 15/0.2280, 16/0.2280, 17/0.2530, 24/0.2530, 25/0.2270, प0न0 298/428 के मु0न0 22 के किला न0 10 ता 11 की 0.5060 प0न0 298/429(23) कि0न0 1/0.2020, प0न0 297/429(24) के किला न0 3/0.2280, 4/0.2280, 5/0.2020, 6/0.2270, 7 ता 8 की 0.5060, 13 ता 14 की 0.5060, 15/0.2280, प0न0 0 मु0न0 71/12 कि0न0 0 की 0.1520 गै0मु0 खाला, प0न0 0 मु0न0 71/13 किला न0 0 की 0.0760 गै0मु0खाला, प0न0 0 मु0न0 71/17 कि0न0 0 की 0.0260 गै0मु0 खाला कुल तादादी 4.7570 है0 भूमि में वादीयागण बहिब 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी स0 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग-अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सीव डोल बने हुये है। राजस्व रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तरका खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादीयागण भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहते हैं, यह ही बिनाय मुख्वास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 की तरफ से जवाब पेश किया गया।



उपखण्ड जजिस्ट्रेट
नोहर

प्रतिवादी स० 2 की ओर से परोकार राज उपस्थित। प्रतिवादी स० 3 व 4 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

तहसीलदार नोहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीयागण ने निवेदन किया कि पक्षकारान के हिस्सा अनुसार तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के विवादित भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किया जावें। वकील प्रतिवादी ने अपना खंडन प्रस्तुत करते हुए प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर की और कथन किया कि तहसीलदार नोहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव बिना मौका देखे मनमाने तरीके से वही रिपोर्ट पेश की जो पहले प्रस्तुत की गई है। मु०न० 22 के किला न० 10-11 की 0.506है० के दोनों किला प्रतिवादीगण के कब्जा काशत में है तथा उक्त किलों में प्रतिवादी की पक्की ढाणी बनी हुई है तथा मौका पर परिवार सहित निवास करता है। इस प्रकार तहसीलदार नोहर द्वारा पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। अतः पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीयागण ने रोही मौजा चक 4 बीबीके तहसील नोहर के प०न० 297/428 के मु०न० 21 के किला न० 6/0.2280, 7/1 की 0.1260, 14/1 की 0.1270, 15/0.2280, 16/0.2280, 17/0.2530, 24/0.2530, 25/0.2270, प०न० 298/428 के मु०न० 22 के किला न० 10 ता 11 की 0.5060 प०न० 298/429(23) कि०न० 1/0.2020, प०न० 297/429(24) के किला न० 3/0.2280, 4/0.2280, 5/0.2020, 6/0.2270, 7 ता 8 की 0.5060, 13 ता 14 की 0.5060, 15/0.2280, प०न० 0 मु०न० 71/12 कि०न० 0 की 0.1520 गै०मु० खाला, प०न० 0 मु०न० 71/13 किला न० 0 की 0.0760 गै०मु०खाला, प०न० 0 मु०न० 71/17 कि०न० 0 की 0.0260गै०मु० खाला कुल तादादी 4.7570है० भूमि में वादीयागण बहिब 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी स० 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। पत्रावली व वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति विभाजन प्रस्ताव का व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में पूर्व में भी तहसीलदार नोहर के पत्रांक 3283 दिनांक 3.7.2018 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादी स० 1 द्वारा दिनांक 10.01.2019 को आपत्ति लगाई गई। आपत्ति स्वीकार होने पर तहसीलदार के पत्रांक 1633 दिनांक 10.05.2021 द्वारा दुसरी बार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव हुआ जिस पर वादीयागण द्वारा दिनांक 01.07.2021 को आपत्ति लगाई गई। आपत्ति स्वीकार होने पर तहसीलदार नोहर के पत्रांक 7000 दिनांक 22.08.2022 द्वारा तीसरी बार विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया जिस पर प्रतिवादी स० 1 द्वारा पुनः आपत्ति पेश की गई है। तहसीलदार नोहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.08.2022 का अवलोकन किया गया जिस पर तहसीलदार नोहर व संबंधित पटवार मण्डल पटवारी के हस्ताक्षर के साथ साथ वादीयागण के भी अंगुठा निशानी मौजूद है। प्रतिवादी द्वारा बार बार महज न्याय में देरी के उद्येश्य से आपत्ति प्रस्तुत कि जाकर मौके पर उपस्थित नहीं होना प्रतीत होता है। इस प्रकार राजस्थान काशताकरी अधिनियम 1955 के नियम 18 ता 21 की पालना प्रतीत होने तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त तथा देरी ना करने के उद्येश्य से प्रतिवादी स० 1 का आपत्ति विभाजन प्रस्ताव खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाकर

वाद वादीयागण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

वादीया स0 1 गुडी देवी पत्नी बुधराम जाति मेघवाल निवासी नोहर तथा वादीया स0 2 कलावती पत्नी खेताराम जाति मेघवाल 1/2 बहिबः—

चक 4 बीकेके तहसील नोहर के प0न0मु0न0 297/428(21) किला न0 6/1 की 0.025 गै0मु0 खाला, किला न0 6/2 की 0.228 है नहरी, किला न0 7/2 की 0.126 है नहरी, किला न0 14/1 की 0.127 है नहरी, किला न0 15/1 की 0.025 है गै0मु0 खाला, 15/2 की 0.228 है नहरी, 16/1 की 0.025 है गै0मु0 खाला, 16/2 की 0.228 है नहरी, 17 की 0.253 है नहरी, 24 की 0.253 है नहरी, 25/1 की 0.026 है गै0मु0 खाला, 25/2 की 0.227 है नहरी, प0न0 298/428(22) कि किला न0 10, 11 प्रत्येक की 0.253 है नहरी, प0न0 298/429(23) कि **किला न0 1/1 की 0.075 है** नहरी इस प्रकार कुल 2.352 है जिसमें 2.251 है नहरी, 0.101 है गै0मु0 खाला।

प्रतिवादी स0 1 गोपीराम पुत्र चानणराम निवासी भूकरका जाति मेघवाल 1/2 हिस्साः—

चक 4 बीकेके तहसील नोहर के प0न0मु0न0 297/429(24) के किला न0 3/1 की 0.025 है खाला, 3/2 की 0.228 है नहरी, 4/1 की 0.025 है गै0मु0 खाला, 4/2 की 0.228 है नहरी, 5/1 की 0.051 है गै0मु0 खाला, 5/2 की 0.202 है नहरी, 6/1 की 0.026 है गै0मु0 खाला, 6/2 की 0.227 है नहरी, 7 की 0.253 है नहरी, 8 की 0.253 है नहरी, 13 की 0.253 है नहरी, 14 की 0.253 है नहरी, 15/1 की 0.026 है गै0मु0 खाला, 15/2 की 0.227 है नहरी, प0न0 298/429(23) के किला न0 **1/2 की 0.1270 है** इस प्रकार कुल 2.4040 है जिसमें 2.2510 है नहरी, 0.1530 है गै0मु0 खाला।

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2-11-28 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अन्तिम पर्चा-डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 280/2017

अनवान : -

1. गुडीदेवी पत्नी बुधराम जाति मेघवाल साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. कलावती पत्नी खेताराम जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

-वादीयागण

बनाम

1. गोपीराम पुत्र चानणराम जाति मेघवंशी साकिन भूकरका तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
3. स्टैट बैंक पटीयाला शाखा नोहर तहसील नोहर।
4. एसबीबीजे शाखा भूकरका तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 280 सन 2017 निर्णय दिनांक 27/5/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीयागण श्री हवासिंह पुनिया व वकील प्रतिवादी श्री मांगेराम गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीयागण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा चक 4 बीबीके तहसील नोहर के प0न0 297/428 के मु0न0 21 के किला न0 6/0.2280, 7/1 की 0.1260, 14/1 की 0.1270, 15/0.2280, 16/0.2280, 17/0.2530, 24/0.2530, 25/0.2270, प0न0 298/428 के मु0न0 22 के किला न0 10 ता 11 की 0.5060 प0न0 298/429(23) कि0न0 1/0.2020, प0न0 297/429(24) के किला न0 3/0.2280, 4/0.2280, 5/0.2020, 6/0.2270, 7 ता 8 की 0.5060, 13 ता 14 की 0.5060, 15/0.2280, प0न0 0 मु0न0 71/12 कि0न0 0 की 0.1520 गै0मु0 खाला, प0न0 0 मु0न0 71/13 किला न0 0 की 0.0760 गै0मु0खाला, प0न0 0 मु0न0 71/17 कि0न0 0 की 0.0260 गै0मु0 खाला कुल तादादी 4.7570 है0 भूमि में वादीयागण बहिब 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी स0 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

वादीया स0 1 गुडी देवी पत्नी बुधराम जाति मेघवाल निवासी नोहर तथा वादीया स0 2 कलावती पत्नी खेताराम जाति मेघवाल 1/2 बहिब:-

चक 4 बीकेके तहसील नोहर के प0न0मु0न0 297/428(21) किला न0 6/1 की 0.025 गै0मु0 खाला, किला न0 6/2 की 0.228 है0 नहरी, किला न0 7/2 की 0.126 है0 नहरी, किला न0 14/1 की 0.127 है0 नहरी, किला न0 15/1 की 0.025 है0 गै0मु0 खाला, 15/2 की 0.228 है0 नहरी, 16/1 की 0.025 है0 गै0मु0 खाला, 16/2 की 0.228 है0 नहरी, 17 की 0.253 है0 नहरी, 24 की 0.253 है0 नहरी, 25/1 की 0.026 है0 गै0मु0 खाला, 25/2 की 0.227 है0 नहरी, प0न0 298/428(22) कि किला न0 10, 11 प्रत्येक की 0.253 है0 नहरी, प0न0 298/429(23) के किला न0 1/1 की 0.075 है0 नहरी इस प्रकार कुल 2.352 है0 जिसमें 2.251 है0 नहरी, 0.101 है0 गै0मु0 खाला।

27
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नोहर

प्रतिवादी स० 1 गोपीराम पुत्र चानणराम निवासी भूकरका जाति मेघवाल 1/2 हिस्सा:-

चक 4 बीकेके तहसील नोहर के प०न०मु०न० 297/429(24) के किला न० 3/1 की 0.025है० खाला, 3/2 की 0.228है० नहरी, 4/1 की 0.025है० गै०मु० खाला, 4/2 की 0.228है० नहरी, 5/1 की 0.051है० गै०मु० खाला, 5/2 की 0.202है० नहरी, 6/1 की 0.026है० गै०मु० खाला, 6/2 की 0.227है० नहरी, 7 की 0.253है० नहरी, 8 की 0.253है० नहरी, 13 की 0.253है० नहरी, 14 की 0.253है० नहरी, 15/1 की 0.026है० गै०मु० खाला, 15/2 की 0.227 है० नहरी, प०न० 298/429(23) के किला न० 1/2 की 0.1270है० इस प्रकार कुल 2.4040है० जिसमें 2.2510है० नहरी, 0.1530है० गै०मु० खाला।

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/5/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर